



सत्यमेव जयते

# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक २४]

बुधवार, जून २४, २०२६/आषाढ ३, शके १९४८

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २४ जून, २०२६ ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. XXXVI 2026.

A BILL

further to amend the Maharashtra Industrial Development Act, 1961.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३६ सन् २०२६ ।

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

(१)

**और क्योंकि** महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हे इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, १६ जून २०२६ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९६२  
का महा. ३।  
सन् २०२६  
का महा. ७।

**और क्योंकि** उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; अतः, भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और  
प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

(२) यह १६ जून २०२६ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६२ का  
महा. ३ की धारा  
२२ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की, धारा २२ की, उप-धारा (२) में, “पचहत्तर करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान में, “छह हजार करोड़ रुपए” शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६२  
का महा. ३

सन् २०२६ का  
महा. अध्यादेश  
क्रमांक ७ का  
निरसन तथा  
व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

सन् २०२६  
का महा.  
अध्या.  
क्र. ७।

## उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ३) यह महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों के औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक संपदाओं में सुव्यवस्थित संस्थापना को सुनिश्चित करने, और इनके संगठन में सामान्य रूप से सहायता करने, तथा उस प्रयोजन के लिए एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करने और उपर्युक्त मामलों से संबंधित प्रयोजनों के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम की धारा २२ यह उपबंध करती है कि, निगम अपने लिए पर्याप्त स्रोतों का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए खुले बाजार से या किसी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों से धन ऋण पर ले सकेगा। उक्त धारा २२ की, उप-धारा (२) यह उपबंध करती है कि, निगम किसी भी समय पर, ऋण पर ऐसी अधिकतम रकम ले सकेगा, वह पचहत्तर करोड़ रुपए होगी। उक्त ऋण की अधिकतम रकम वर्ष १९७५ से अर्थात् पचास वर्ष से अधिक समय से इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है।

३. निगम ने राज्य में औद्योगिक विकास करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष आर्थिक झोन और आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास का कार्य हाथ में लिया है। राज्य में बढ़ते औद्योगिक निवेश के लिए निगम द्वारा नई औद्योगिक परियोजनाएँ और मूलभूत सुविधाएँ विकसित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता है। ऐसे औद्योगिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करना भी आवश्यक होता है और उसके फलस्वरूप भूमिस्वामियों की भूमि का अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (सन् २०१३ का ३०) के उपबंधों के अनुसार उचित क्षतिपूर्ति की अदायगी करना भी आवश्यक है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम की धारा २२ की, उप-धारा (२) में संशोधन द्वारा निगम ऋण ले सके ऐसी राशि की अधिकतम सीमा पचहत्तर करोड़ रुपयों से बढ़ाकर छह हजार करोड़ रुपए करना इष्टकर समझा गया है।

४. चूंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः, महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र. ७) १६ जून २०२६ को प्रख्यापित हुआ था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,

दिनांकित २२ जून, २०२६।

उदय सामंत,

उद्योग मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमलाबाई वाळू गिते,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :

मुंबई,

दिनांकित २४ जून, २०२६।

श्री. जितेंद्र भोळे,

सचिव-१,

महाराष्ट्र विधानसभा।